न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4229–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.12.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 279/अपील/11–12.

.....

1–मोतीलाल मिश्रा पुत्र स्व. श्री शारदा प्रसाद मिश्रा
निवासी ग्राम बठियाकला, पोस्ट–संगमनिहा तहसील
रघुराजनगर जिला–सतना (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1–सूरजदीन मिश्रा पुत्र स्व. श्री गंगा प्रसाद मिश्रा
2–राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामजियावन मिश्रा
3–कामता प्रसाद मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामजियावन मिश्रा
4–बूटी बाई पुत्री स्व. श्री रामभरोसा मिश्रा
5–सम्पतिया पुत्री स्व. श्री रामभरोसा मिश्रा
6–कुसुम बाई पुत्री स्व. श्री रामजियावन मिश्रा
निवासीगण ग्राम बठियाकला, पोस्ट सगमनिहा
तहसील रघुराजनगर जिला सतना (मध्य प्रदेश)

.....अनावेदक

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30-9-15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण कमांक–279/अपील/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2012 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार एवं गैर निगराकार गण एक खानदान के सदस्य है जिनके बीच पैत्रिक सम्पत्तियों के विभाजन एवं नामांतरण व कब्जे की कार्यवाही को लेकर विवाद रहा है ।

पक्षकारों के मध्य इन संपत्तियों के विभाजन को लेकर न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सतना द्वारा उनके व्यवहार वाद क्र. 53 ए/2002 में दिनांक–20.11.2002 को डिक्री पारित की गयी । इस वाद में रामजियावन (मृत) और उसका पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वादी थे, तथा सूरजदीन, रामभरोसा, मोतीलाल और मध्य प्रदेश शासन प्रतिवादी थे । इस डिक्री के अनुसार ग्राम बदखर की भूमि छोड़कर शेष भूमियों पर सूरजदीन का 1/2 तथा शेष 3 का 1/2 हिस्सा था (जिस 1/2 हिस्से में रामभरोसा और मोतीलाल का संयुक्त 2/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा रामजियावन (मृत) के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का था) ।

इस डिक्री के विरुद्ध न्यायालय षष्टम अपर जिला न्यायाधीश सतना में सिविल अपील कमांक–28 ए/09 दायर हुई। यह सिविल अपील भी रामजियावन (मृत) के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ने दायर की और सूरजदीन, रामभरोसा (मृत) के वारिसान, मोतीलाल एवं म0प्र0 शासन को प्रत्यर्थी बनाया गया । इस सिविल अपील में निर्णय दिनांक–18.08.2009 को पारित हुआ । यह निर्णय काफी डिटेल्ड था एवं इसमें पक्षकारों के खानदान की ग्राम बठियाकला स्थित 11.39 एकड़, ग्राम बेला स्थित 0.71 एकड़ एवं ग्राम बदखर स्थित 3.03 एकड़ भूमि के विभाजन की डिक्री इस प्रकार पारित की गयी कि इन ग्रामों की भूमियों में सूरजदीन को 1/2 हिस्सा, रामजियावन (मृत) के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को 1/8 हिस्सा, मोतीलाल को 3/16 तथा रामभरोसा (मृत) के वारिसान को 3/16 हिस्सा मिला ।

सिविल न्यायालयों के इन निर्णय के आधार पर सूरजदीन ने तहसीलदार रघुराजनगर के समक्ष धारा 178 भू–राजस्व संहिता के तहत खाता विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । इस पर तहसीलदार ने प्र0कमांक–4/अ–27/2010–11 में दिनांक–30.04.2011 को आदेश पारित कर सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक–18.08.09 का अनुपालन करते हुए बटवारा किया । तीनों ग्रामों की बटवारा पुल्लियां अभिलेख में देखी जा सकती हैं । ग्राम बदखर की बटवारा पुल्ली पर सुखदीन, मोतीलाल, रामभरोसा (मृत) के पुत्र कामता प्रसाद तथा

रामजियावन (मृत) के पुत्र राजेन्द्रप्रसाद के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है । ग्राम बाठियाकला एवं बेला की बटवारा पुल्ली पर सुखदीन, मोतीलाल तथा रामभरोसा (मृत) के पुत्र कामता प्रसाद के हस्ताक्षर है, एवं यह लिखा है कि [रामजियावन (मृत) के पुत्र] राजेन्द्र प्रसाद मौके पर नहीं उपस्थित रहे किन्तु हस्ताक्षर नहीं किए ।

तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध मोतीलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील की गयी जिस पर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने अपने प्रकरण क्रमांक–182/अपील/10–11 में दिनांक–12.12.2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा । तदुपरांत अपर आयुक्त के समक्ष मोतीलाल ने द्वितीय अपील की जिस पर उनके प्रकरण क्रमांक–279/अपील/2011–12 में दिनांक–03.12.12 को यह लिखते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया कि प्रकरण में उच्च न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है एवं मोतीलाल के अतिरिक्त किसी को आपत्ति भी नहीं है ।

अपर आयुक्त की इस कार्यवाही के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया । मेरे समक्ष नियत अंतिम तर्क के अवसर पर निगराकार मोतीलाल के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उनका सम्पर्क मोतीलाल से नहीं हो पा रहा है एवं अभिलेखों के आधार पर आदेश पारित करने का निवेदन किया गया ।

गैर निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मान. उच्च न्यायालय म0प्र0 के प्र0क्र0285/12 (जिसमें मोतीलाल अपीलांट था) के आदेश दिनांक–8.1.15 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मोतीलाल का बिलम्ब माफी का आवेदन व साथ–साथ वह अपील प्रकरण भी मान.उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गये हैं । आदेश की प्रति पक्षकार द्वारा जनवरी 2015 में ही ले ली गयी है ।

प्रकरण की नस्ती के समस्त अभिलेखों के सूक्ष्म परिशीलन, विवेचना एवं विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि निगराकार मोतीलाल द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह निगरानी तत्काल प्रभाव से खारिज किए जाने योग्य है । माननीय व्यवहार न्यायालयों, विशेषकर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सतना द्वारा, विस्तृत बोलता हुआ एवं स्पष्ट निर्णय उनके समक्ष के प्रकरण में दिया गया है, जिसका पालन तहसीलदार ने किया, जिसके बाद

अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश यथावत रखा । अपर आयुक्त ने भी प्रकरण का संक्षेप आदेश पत्रिका पर लिख कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर लिया था, जिस समय निगराकार राजस्व मण्डल के समक्ष आ गये । मान. उच्च न्यायालय में भी इन्हीं निगराकार ने 2 वर्ष से अधिक लम्बी अवधि के बाद अपील दायर की, जिसे विचारोपरांत निरस्त कर दिया गया । ऐसे में, माननीय अतिरिक्त जिला जज–6 सतना का आदेश, एवं उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश यथावत रहता है । राजस्व मण्डल में यह निगरानी इस आदेश के साथ खारिज की जाती है कि, अनावश्यक वाद नहीं बढाए जाने के हित में अब अपर आयुक्त के समक्ष के प्रकरण में आगे तर्क सुनवाई या पृथक आदेश पारित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश–6 सतना द्वारा सिविल वाद में पारित डिक्री, जिसके विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में दायर अपील भी खारिज हो चुकी है, का पालन तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है । तहसीलदार का आदेश यथावत रखा जाता है । यह निगरानी अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर